राजस्थान सरकार

कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना

(राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग)

डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर – 302005

email:pd.rghs@rajasthan.gov.in Ph. No. 0141-2740252

No:F.1(240)RGHS/C/22-23/Loose/ 3224 - 3230 Date: 11-11-2022

निर्देश

(निजी अनुमोदित चिकित्सालयों हेतु)

विषय :– आरजीएचएस के अन्तर्गत लाभार्थी के भर्ती रहने की अवधि एवं बिल के संबंध में।

पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक F.1(250)RGHS/Hosp.Emp./21-22/2241-2243, दिनांक 01.02.2022 तथा तत्पश्चात् पत्रांक F.1(240)RGHS/C/22-23/1447-1450, दिनांक 05.07.2022 के द्वारा आरजीएचएस के अन्तर्गत उपचार प्राप्त कर रहे लाभार्थी के भर्ती रहने की अवधि एवं Running Bill एक लाख से अधिक होने के संबंध में इस कार्यालय को सूचित किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे।

उक्त के क्रम में **आंशिक संशोधन कर पुनः निर्देशित किया जाता है** कि यदि आरजीएचएस लाभार्थी को Medical Management/ Conservative Treatment (ICU के अलावा कोई भी वार्ड) में **07 दिवस** से अधिक एवं सघन चिकित्सा इकाई (ICU) में **5 दिवस** से अधिक भर्ती रहने की आवश्यकता चिकित्सक द्वारा समझी जाती है तथा अस्पताल का Running Bill एक लाख से अधिक हो जाता है तो आगे उपचार हेतु प्रति एक लाख पर इसकी पूर्वानुमति आरजीएचएस कार्यालय से लेना अनिवार्य होगा। उक्त तीनों स्थिति में से जो भी पहले हो के लिए, अस्पताल को दस्तावेज संलग्न (Current Running Bill as per RGHS Rates, IPD Notes, Supportive Investigation report, Dr. Justification for need of Hospitalization with Estimated Expenses and days etc.) कर प्रारूप को ई मेल आईडी TPA.RGHS@RAJASTHAN.GOV.IN पर प्रेषित कर अनुमति प्राप्त करनी होगी। **इस उद्देश्य हेतु दिनांक 05.07.2022 से केवल ई मेल आईडी TPA.RGHS@RAJASTHAN.GOV.IN ही अनुमत है, पूर्व में इस प्रयोजन हेतु अन्य ई मेल पते प्रयोग नहीं लिये जावें।** साथ ही प्रतिलिपि JD2.RGHS@RAJASTHAN.GOV.IN, CU1.RGHS@RAJASTHAN.GOV.IN, CU2.RGHS@RAJASTHAN.GOV.IN पर ही प्रेषित करे। उक्त प्रयोजन की ई मेल PD.RGHS@RAJASTHAN.GOV.IN पर प्रेषित नहीं की जावें।

(शिप्रा विक्रम)
परियोजना निदेशक, आरजीएचएस

No:F.1(240)RGHS/C/22-23/Loose/ 3224 - 3230 Date: 11-11-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी / संयुक्त परियोजना निदेशक (सतर्कता / दावा इकाई), आरजीएचएस जयपुर।
3. एसीपी, आरजीएचएस को आरजीएचएस वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. क्षेत्रीय प्रबंधक, एमडी इण्डिया हेल्थ टीपीए, जयपुर को भेजकर लेख है कि **नवीन निर्देशानुसार** ई मेल आईडी TPA.RGHS@RAJASTHAN.GOV.IN पर प्राप्त होने वाले अधिक अवधि तक भर्ती एवं Running Bill एक लाख से अधिक होने के प्रकरणों में अनुमति का कार्य आपके स्तर से सुचारू रखा जावे।
5. लेखा शाखा, आरजीएचएस, जयपुर।
6. प्रभारी, 181 हेल्पलाइन, आरजीएचएस, जयपुर।

(सुरेश कुमार मीणा)
संयुक्त परियोजना निदेशक, आरजीएचएस